न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,टिब्बी
पीठासीन अधिकारी—मांगीलाल आर.ए.एस.
वादपत्र अन्तर्गत धारा:—88 आरटीए
प्रकरण संख्या:— /2020

हरपिन्द्रसिह पुत्र सुखजीतसिह जाति जटसिख निवासी बेहरवाला कंला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम्

1.सुखजीत सिह पुत्र महेन्द्रसिह जाति जटसिख निवासी बेहरवाला कंला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।

2.सतवीर कौर पत्नी कुलविन्द्र सिह पुत्री सुखजीत सिह जाति जटसिख निवासी सिहपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

उपस्थित—श्री रोहिताश चाहर अधिवक्ता वादी
श्री अरविन्द नैण अधिवक्ता प्रतिवादीगण

निर्णय दिनांक :— 04.01.2021

वादी हरपिन्द्रसिह ने प्रतिवादीगण के विरूद्व यह दावा बावत घोषणा के तहत इस न्यायालय में पेश किया कि प्रतिवादी सं0 1 सुखजीत सिह के नाम से वाके चक नं0 650 आरडी के खाता सं0 269/163 में कुल 2.361 है0 कृर्षि भूमि तथा इसी चक के खाता सं0 166/155 की कुल 3.289 है0 मे से 2/13 हिस्सा कृर्षि भूमि इसी चक के खाता सं0 87/85 में .759 है0 तथा चक 644 आरडी के खाता सं0 65/92 मे .253 है0 कृर्षि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

वादपत्र की दफा 2 में वर्णित कृर्षि भूमि हिन्दू संयुक्त परिवार की पैतृक सम्पति है जिसमें मुझ वादी को बर्थ राइट हासिल है। उपरोक्त वर्णित कृर्षि भूमि का काफी अर्सा पूर्व आपसी घरू बटवारा हो चुका है मुताबिक घरू बटवारा में मुझ वादी को वादपत्र की दफा 3 मे दर्ज आराजी के अनुसार भूमि बटवारां में प्राप्त हुई है। मुताबिक घरू बटवारां में प्राप्त कृर्षि भूमि पर वादी काबिज काश्त करता चला आ रहा है। प्रतिवादीया सं0 2 ने घरू बटवारा में प्राप्त कृर्षि भूमि में अपने हक व हिस्सा की भूमि मुझ वादी के पक्ष में तर्क कर दी है जो अब अपना हिस्सा नही लेना चाहती है परन्तु मुझ वादी को घरू बटवारां मे प्राप्त कृर्षि भूमि अभी तक राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादीसं0 1 के नाम दर्ज है जिससे मुझ वादी के खातेदारी अधिकारों पर विपरीत असर पड़ता है इसलिए वादी वादपत्र की दफा 3 मे दर्ज बटवारां में प्राप्त आराजी अपने नाम से राजस्व रिकार्ड में अंकन करवाकर चकनं0 650 आरडी के खाता सं0 166/155 व इसी चक के खाता सं0 269/163 मे से प्रतिवादीसं0 1 सुखजीत सिह पुत्र महेन्द्रसिह का नाम कलमजन करवाना चाहता है।

वादी ने प्रतिवादीगण को वादपत्र की दफा 3 में दर्ज आराजी के अनुसार भूमि वादी के नाम से राजस्व रिकार्ड में अंकन करवाने व प्रतिवादीसं0 1 का नाम कलमजन करवाने का निवेदन किया तो प्रतिवादीगण कतई इन्कार हो गये।बस यही बिनाय दावा है।

उक्त तथ्यों के आधार पर वादपत्र पेश होने पर सीगेदार की रिपोर्ट के बाद दावा दर्ज रजिस्टर किया गया।प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण द्वारा अहमति का जबाबदावा पेश कर निवेदन किया कि वादपत्र की दफा 2 में वर्णित कृर्षि भूमि हिन्दू संयुक्त परिवार की पैतृक सम्पति है उपरोक्त वर्णित कृर्षि भूमि का काफी अर्सा पूर्व आपसी घरू बटवारा हो चुका है मुताबिक घरू बटवारा में वादी को वादपत्र की दफा

3 के अनुसार आराजी दी हुई है।मुताबिक घरू बटवारां में प्राप्त कृर्षि भूमि पर वादी काबिज काश्त करता चला आ रहा है। मुझ प्रतिवादीया सं0 2 ने घरू बटवारा में प्राप्त कृर्षि भूमि में अपने हक व हिस्सा की भूमि अपने भाई वादी हरपिन्द्रसिह के पक्ष में तर्क कर दी है जिसमें मैं प्रतिवादीया सं0 2 कोई हक व हिस्सा नही लेना चाहती हूँ। इसलिए, वादपत्र की दफा 3 मे दर्ज बटवारां मे प्राप्त आराजी वादी के नाम से राजस्व रिकार्ड में अंकन कर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर वाकें चकनं0 650 आरडी के खाता सं0 166/155 व इसी चक के खाता सं0 269/163 मे से प्रतिवादीसं0 1 सुखजीत सिह पुत्र महेन्द्रसिह का नाम कलमजन किया जाता है तो हम प्रतिवादीगण को कोई उज व एतराज नही है। हम प्रतिवादीगण पूर्णतया सहमत है।जबाबदावा मय शपथ पत्र के साथ पक्षकारान की आई.डी. की फोटो प्रतियॉ पेश की गई। वादी द्वारा साक्ष्य के रुप में अपने स्वंय का शपथ पत्र, वारिसनामा, वारिसनामा बाबत स्टाम्प व पैतृक सम्पति बावत दस्तावेज पेश किये गये जो शामिल मिसल किये गये।

बहस सुनी गई। वकील वादी ने वाद पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि वादी व प्रतिवादीगण आपस में एक ही परिवार के सदस्य है।वाद में सहमति का जबाबदावा पेश होने के कारण मुताबिक वाद स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया। वादी के अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस मे यह भी निवेदन किया गया कि वादपत्र की दफा 2 में दर्ज पैतृक सम्पति है जो प्रतिवादीसं0 1 के नाम से है।वाद पत्र की दफा 2 मे दर्ज आराजी वादी को वाद पत्र की दफा 3 के अनुसार प्राप्त हुई है जो प्रतिवादीगण ने भी अपने जबाबदावा में स्वीकार किया है। वादी द्वारा पैतृक सम्पति बाबत प्रस्तुत दस्तावेजात व वारिसनामा, स्टाम्प, शपथ पत्र साक्ष्य वादी प्रस्तुत किये गये।प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद को मुताबिक जबाबदावा स्वीकार किया गया है।वादी का वाद पूर्णतया साबित है।मुताबिक जबाबदावा के अनुसार डिक्री किये जाने का निवेदन किया गया।

बहस सुनने के उपरान्त प्रस्तुत दस्तावेजों जमाबन्दी, जबाबदावा, शपथ पत्र वादी, वारिसनामा, वारिसनामा स्टाम्प, पैतृक सम्पति बाबत प्रस्तुत दस्तावेजात का गहराई से अध्ययन किया गया।राजस्व रिकार्ड में उक्त आराजी प्रतिवादीगण सं0 1 के नाम से दर्ज है। पत्रावली में वादी द्वारा जो दस्तावेज जमाबन्दी वगैरह तथा दस्तावेजात जो प्रस्तुत किये गये है उन दस्तावेजो के आधार पर व प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत जबाबदावा के आधार पर वाद वादी स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया है।उपरोक्त विवेचनानुसार वाद मुताबिक जबाबदावा व प्रस्तुत दस्तावेजात, सहमति के आधार पर वाद वादी साबित करने में सफल रहा है। वाद वादी मुताबिक जबाबदावा स्वीकार किये जाने योग्य है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी स्वीकार किया जाता है कि चक नं0 650 आर डी के खातासं0 166/155 की कुल 3.289 है0 में 2/13 हिस्सा तथा इसी चक के खाता सं0 269/163 की कुल 2.361 है0 कृर्षि भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर वाकें चकनं0 650 आरडी के खाता सं0 166/155 व इसी चक के खाता सं0 269/163 मे से प्रतिवादीसं0 1 सुखजीत सिह पुत्र महेन्द्रसिह का नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते है।इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में अंकन किया जावे।उक्त आराजी पर बैंक ऋण की स्थिति रहन मुक्त होने के पश्चात् राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।पत्रावली फैसलशुमार होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 04.01.2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सांगीलाल)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,टिब्बी

डिक्री बमुकदमें ईब्तदाई
अ. आदेश 20 नियम 6–7 व्या.प्रक्रियां संहिता
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,टिब्बी
पीठासीन अधिकारी–मांगीलाल आर.ए.एस.
प्रकरण संख्याः–   /2020

हरपिन्द्रसिह पुत्र सुखजीतसिह जाति जटसिख निवासी बेहरवाला कंला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
वादी

बनाम्

1.सुखजीत सिह पुत्र महेन्द्रसिह जाति जटसिख निवासी बेहरवाला कंला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।

2.सतवीर कौर पत्नी कुलविन्द्र सिह पुत्री सुखजीत सिह जाति जटसिख निवासी सिहपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ। प्रतिवादीगण

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ मांगीलाल आर.ए.एस.के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रोबरू हमारे बहाजरी श्री रोहिताश चाहर वकील वादी मिन जामिन मुदई श्री अरविन्द नैण प्रतिवादीगण मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिग्री दी जाती है कि चक नं0 650 आर डी के खातासं0 166/155 की कुल 3.289 है0 में 2/13 हिस्सा तथा इसी चक के खाता सं0 269/163 की कुल 2.361 है0 कृर्षि भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर वाकें चकनं0 650 आरडी के खाता सं0 166/155 व इसी चक के खाता सं0 269/163 मे से प्रतिवादीसं0 1 सुखजीत सिह पुत्र महेन्द्रसिह का नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते है।उक्त आराजी पर बैंक ऋण की स्थिति रहन मुक्त होने के पश्चात् राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

निज....X....निल.....x....मुब्लिक..x....निल.....x....बाबत्......x......निल......x.....खर्चा मुक़दमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक ..X.... अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 04.01.2021 को जारी किया गया।

(मांगीलाल)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,टिब्बी

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी